प्रतिलिपि के लिए आवेदक की तारीख Date of Application for the copy	स्टाम्प और फोलियो की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios	अपेक्षि[illegible] Date of delivery of the requisite stamp & folios	[illegible]ख जबकी देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of mading over the copy to the applicant
8/12/21	8/12/21	8/12/21	9/12/21	9/12/21

1577/1/2

FOLIO NOT AVAILABLE

स्च्ची प्रतिलिपि अंतिम प्रकाशित खतियान के खेसरा संख्या 978

खाता नं० 445 वार्ड सं० 9 जमशेदपुर अधिसूची क्षेत्र, जिला पूर्वी सिंहभूम।

थाना मोहल्ला पट्टी परगना तौजी सं०

थाना सं०

खतियान की क्रम सं०	अभिधारी का नाम पिता का नाम जाति और निवास	खेत: खेसरा संख्या	खेत: चौहदी	भूमी का स्वरूप	रकवा हे० आर० सं०	अभ्युक्ति	गैर नगदी लगान वाले हरेक प्लाट के सामने बताए कि उस पर कब्जा कैसे है: राजस्व पदाधिकारी द्वारा अभिनिश्चित लगान। 1 लगान 2 सेस	गैर नगदी लगान वाले हरेक प्लाट के सामने बताए कि उस पर कब्जा कैसे है: बन्दोबस्त उचित लगान यदि हो 1 लगान 2 सेस	स्वत्वाधारी का नाम और उसकी खेवट संख्या मध्यवर्ती भू-स्वामी का नाम और उसका खेवट संख्या यदि हो (1) अधियोगी रैयत कर हैसियत और कब्जे की अवधि। (2) लगान किस प्रकार नियत किया गया, आरोही (प्रोग्रेसिव हो तो विशिष्टियाँ) (3) कोई विशेष शर्त और अनुषंगत बात यदि हो।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
445	मोहम्मद रफीक- मोहम्मद सफीक वो मोहम्मद- सिद्दीक वो मोहम्मद करिम- तथा मोहम्मद- ईलताफ पिता- जुमराती मियाँ- अंश समान।	978	उ. अनवर महम्मद द. मो. जाबिर	परती-	0.16.70		(i) काबिल- लगान		(i) कायमी।

प्रतिलिपिक
9.12.21

तुलना किया

Certified to be True Copy
9/12/21
Head Clerk to the Settlement office is authorised U/s 76 of the Indian Evidence Act. 1872

[illegible] अभिलेख [illegible] 1908 की धारा 83(2) तथा बिहार एवं उड़ीसा नगरपालिका सर्वेक्षण अधिनियम 1920 की धारा 10(1) के अन्तर्गत तैयार हुआ और इसका अन्तिम प्रकाशन दिनांक 18 Aug. 1979 को [illegible] अन्तिम प्रकाशन प्रमाण पत्र दिनांक 18 Aug. 1979 को हस्ताक्षरित हुआ

बन्दोबस्त पदाधिकारी
सिंहभूम

1